राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 602/2025

रामनिवास **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.03.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मंजीत गोदारा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 एवं 31.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थी को अधिशेष कार्मिक मानते हुए और तद्नुसार अन्य विद्यालय में पदस्थापन किया गया है। साथ ही यह प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी को उसके मूल पद/विषय पर पैतृक पंचायती राज विभागमें पदस्थापित करें तथा माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिये जावें।

3. अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, टिडियासर, ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई एवं अपीलार्थी जिस विद्यालय में कार्यरत है उसे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। तब से

अपीलार्थी वहीं पर पदस्थापित है। विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022 में जारी विज्ञप्ति एवं नियुक्ति आदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों को इन विद्यालयों से अन्यत्र पदस्थापन/सेवाच्युत किये जाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 को वर्तमान सेवा नियमों, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम 2021 में प्रत्यास्थापित किया गया है जिन्हें पंचायतीराज विभाग में केवल कार्मिकों की वरीयता के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने नियम 2021 के नियम 6(3) के विपरीत प्रक्रिया अपनाई है क्योकि प्रत्यर्थी विभाग पंचायती राज विभाग के शिक्षक ग्रेड तृतीय (स्तर प्रथम एवं द्वितीय) की वरीयता सूची तैयार किये बिना अध्यापको को माध्यमिक सेटअप में पोंस्ट कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय को माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के बाद प्रत्यर्थी विभाग को अध्यापक ग्रेड तृतीय स्तर प्रथम व द्वितीय को मूल पंचायती राज विभाग में वापस भेजना आवश्यक है तत्पश्चात् नियम 6(3) मे निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुये वरीष्ठता अनुसार सूची तैयार करने और तदअनुसार उन्हे काउन्सलिंग के बाद माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग ने नियम 2021 के नियम 6(3) की अन्देखी करते हुये समायोजन और पदस्थापन के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये। दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयो के अधिशेष कार्मिको का समायोजन मूल पद के अनुसार स्पष्ट रिक्त पद/विषय के विरूद्ध ही किया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयो मे रिक्त पदो की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयो मे समायोजन किया जाना है। निर्देश संख्या 4 के अनुसार जो अध्यापक नियम 6(3) के माध्यम से शिक्षा विभाग (माध्यमिक) मे लिये गये है। उन्हे माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयो मे ही समायोजित किया जाना आवश्यक है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी प्राथमिक शिक्षा/ पंचायती राज विभाग से संबंधित है और यद्यपि पूर्व कार्यरत विद्यालय को अग्रेजी माध्यम विद्यालय मे परिवर्तित करने के कारण वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय मे आ गयी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग मे अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया और आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, निनाण से महात्मा गांधी विद्यालय, टिडियासर ब्लॉक नोहर में दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। अतः आदेश दिनांक 07.12.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष

अपील संख्या 83/2025 पेश की है जिसको निर्णीत करते हुये माननीय न्यायालय ने निर्देश दिये कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग उस पर नियमानुसार कार्यवाही कर आख्यात्मक आदेश जारी करते हुये अभ्यावेदन का निस्तारण करे। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा अपने विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर राज्य सरकार के नियमो का पालन किये बिना ही प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 31.01.2025 द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए उसे खारिज कर दिया गया। जबकि आस पास के विद्यालयो मे भी अध्यापक स्तर प्रथम का पद रिक्त है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुये प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 एवं आदेश दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) जिसमें अपीलार्थी को अधिशेष कार्मिक मानते हुए और तद्नुसार अन्य विद्वालय में पदस्थापन किया गया है, को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को नोटिसेज उजारी किये जावे साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जावे कि माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन अपीलार्थी को उसके मूल पद/विषय पर पैतृक पंचायती राज विभाग में पदस्थापित किया जावे।

5. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

6. अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की पूर्व अपील संख्या 82/2025 में यह आदेश दिये गये थे कि प्रत्यर्थी विभाग आख्यात्मक आदेश जारी कर अपीलार्थी के आवेदन को निस्तारित करे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 31.01.2025 द्वारा निस्तारित किया गया है, जिसमें वर्तमान ब्लॉक में रिक्त पद पर अपीलार्थी को समायोजित करने के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग से यह अपेक्षित है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में समस्त बिन्दुओं पर गुणावगुण पर विचार करके अभ्यावेदन का निस्तारण किया जावे। विभाग द्वारा जारी समायोजन संबंधी आदेश दिनांक 14.11.2024 के बिन्दू संख्या III(15) में यह स्पष्ट है कि अधिशेष कार्मिकों का समायोजन निम्नानुसार किया जाना हैः–

> ''15. अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जावेः–
>
> I. उसी विद्यालय में रिक्त पद होने पर
>
> II. उसी राजस्व ग्राम में पदरिक्त होने पर

III. उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय पद रिक्त होने पर

IV. ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर

V. सम्बंधित ब्लॉक में रिक्त पद नहीं होने पर, अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर।

यथासम्भव निकट के ब्लॉक के विद्यालय में।''

7. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्तमान ब्लॉक में ही रिक्त पदों के सम्बन्ध में सूचित भी किया गया है उसके बावजूद भी इस स्थिति पर विचार किये बिना अपीलार्थी का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान ब्लॉक में रिक्त पदों की सूची के साथ पुनः प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन करना चाहते हैं जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जावे।

8. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

9. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य